रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 1992/वैशाख 31, 1914
No. 94] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 1992/VAISAKHA 31, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 1992

विषय:— केलेण्डर वर्ष 1992-93 के लिए उन देशों को परिधानों तथा निटवियर के सम्बन्ध में ओ जी एल-3 के अन्तर्गत निर्यात संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत जिन देशों में इस प्रकार के निर्यात को मात्रा-प्रतिबन्धों के तहत कवर किया जाता है ।

सं. 1/110/91-ई पी (टी एण्ड जे)-1 (अपैरल) :– उपरोक्त विषय पर दिनांक 31-8-90 की अधिसूचना सं. 1/4/90-ई.पी (टी एण्ड जे)–1 (अपैरल) और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. 1/99/90 ई पी (टी एण्ड जे) 1 (अपैरल) दिनांक 7-8-91, ई 1/4/90-ई.पी. (टी एण्ड जे) 1 दिनांक 13-11-91 तथा 1/4/90-ई. पी. (टी एण्ड जे)-1 (अपैरल) दिनांक 11-12-1991 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31-8-1990 की अधिसूचना सं. 1/4/90-ई. पी. (टी एण्ड जे) (अपैरल) में निम्नोक्त अनुसार संशोधन किया जाए :

2. पैरा 16 में एक नया उप-पैरा (iv) जोड़ दिया जाएगा जो इस प्रकार पढ़ा जाए :

16 (iv) (क) उन निर्यातकों को जिनको आधार अवधि के दौरान उनके निर्यात निष्पादन के आधार पर संबंधित आवंटन वर्ष के लिये 25,000 अदद से अधिक विगत निष्पादन हकदारी का आवंटन किया गया हो जिनमें सभी देशों/श्रेणियों को निर्यात शामिल है ई एम डी/बी जी के स्थान पर निम्नलिखित शर्तों पर वैध आश्वासन (एल यू टी) देने का विकल्प होगा :-

(क) ई एम डी/बी जी के स्थान पर वैध आश्वासन देने की सुविधा विगत निष्पादन हकदारी, गैर-कोटा हकदारी, विनिर्माता निर्यातक हकदारी और सार्वजनिक क्षेत्र हकदारी योजनाओं के अन्तर्गत पात्र निर्यातकों को हकदारियों के विस्तार/पुनः वैधता में लागू होंगी। यह सुविधा पहले आओ, पहले पाओ योजना में आवंटनों या विस्तार के लिये उपलब्ध नहीं होगी । यह सुविधा गैर-कोटा हकदारी योजना अथवा विगत निष्पादन के अंतरण द्वारा प्राप्त हकदारियों के विस्तार/पुनः वैधता में भी लागू नहीं होगी

(ख) यदि वैध आश्वासन में शामिल की गई हकदारियों के सम्बंध में जमा की गई किसी धनराशि के

लिये निर्यात हकदारी वितरण नीति के अनुसार महानिदेशक, अपैरल निर्यात सवर्धन परिषद् दावा करता है तो सबधित निर्यातक को जिसने ऐसा आश्वासन दिया है, महानिदेशक, अपैरल निर्यात सवर्धन परिषद् द्वारा किए गए ऐसे दावे की तिथि से 90 दिनो की अवधि के भीतर दावा की गई ऐसी राशियो का भुगतान करना होगा । यदि ऐसा करने मे वह असफल होता है तो निर्यातक लदान का किसी भी प्रकार का प्रमाणीकरण [illegible] किसी भी योजना मे [illegible] ई एम डी/ [illegible]

(ग) [illegible] लेकिन [illegible] 90 [illegible] अवधि के भीतर जब्त राशियो का भुगतान करने मे असफल [illegible] ई एम डी/बी जी के स्थान पर वैध आश्वासन देने की सुविधा को वापस ले सकता है ।

(घ) ई एम डी/बी जी पर लागू होने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा शर्तें आवश्यक परिवर्तन सहित वैध आश्वासन पर भी लागू होगें ।

3. मौजूदा पैरा 16 (iv) से 16 (vii) की सख्या में परिवर्तन करके 16 (v) से 16 (viii) कर दिया जाएगा ।

4. समय-समय पर सशोधित दिनाक 31-8-90 की अधिसूचना स. 1/4/90-ई पी (टी एण्ड जे) -1 (अपैरल) की अन्य सभी शर्तें यथावत बनी रहेगी ।

एस नारायणन, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 1992

Subject : Guidelines for Export Under OGL-3 in respect of garments and knitwear to countries where such exports are covered under quantitative restraints for the calendar years 1991-93.

No. 1|110|91-EP(T&J)—I (Apparels).—Attention is invited to Notification No. 1|4|90-EP(T&J)-I (Apparels) dated 31-8-90 on the above mentioned subject and subsequently amended vide Notification No. 1|99|90-EP(T&J)-I (Apparels) dated 7th August 91; 1|4|90-EP(T&J)-I dated 13th November 1991 and 1|4|90-EP(T&J)-I (Apparels) dated 11-12-1991. It has been decided to amend the Notification No. 1|4|90-EP (T&J)I (Apparels) dated 31-8-90 as follows :

2. In Para 16, a new sub-para (iv) shall be inserted which reads :

'16 IV. Exporters who have been allotted Past Performance Entitlements of not less than 25,000 pcs. for the respective allotment year on the basis of their export performance during the base period, for all country|categories taken together, will have an option of submitting a Legal Undertaking (LUT) in place of EMD|BG, subject to the following conditions :—

(a) The facility of submitting LUT in place of EMD|BG will apply to extension|revalidation of the entitlements of eligible exporters in PPE, NQE, MEE and PSF systems. In FCFS system, this facility will not be available either for allotments or for extensions. The facility will also not apply to extension|revalidation of entitlements obtained by transfer in Past Performance or Non-Quota Entitlement systems.

(b) If DG, AEPC raises a claim, in terms of the Export Entitlement Distribution Policy, for any forfeiture amounts in respect of entitlements covered by a Legal Undertaking, the exporter|concern which had submitted the Legal Undertaking would remit the amounts so claimed by DG, AEPC within a period of 90 days from the date of such claim, failing which the exporter will not be eligible to apply for or obtain any certification of shipping bills, transfer of entitlements or return of EMD|BGS in any systems until the amounts are remitted and DG, AEPC decides to re-instate these facilities for the exporter.

(c) DG, AEPC may withdraw the facility of submitting LUT in place of EMD|BG for any exporters who are otherwise eligible for the facility, but have failed to remit any forfeiture amounts within the stipulated period of 90 days

(d) The guidelines and stipulations applicable to EMD|BG will also apply to LUT, mutatis mutandis

3. The existing paras 16 (iv) to 16 (vii) shall be renumbered to 16 (v) to 16 (viii).

4. All other terms and conditions of Notification No. 1|4|90-EP(T&J)-I (Apparels) dated 31.8.90 amended from time to time remain unchanged.

S. NARAYANAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992